160

डेम्प स्टाम्प

न्यायालय श्रीमान् माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर (म.प्र.)

निगरानी क्रमांक- नि - 2088- I - 16 सन्-2016

1. हरचरन तनय बिन्दे नाई,
2. कन्छेदी तनय बिन्दे नाई,
3. श्रीमती आशा पुत्री श्री गनेशी नाई,
4. श्रीमती कलावती पुत्री श्री नारायण नाई

समस्त निवासीगण ग्राम-बरद्वाहा,

तहसील व जिला-छतरपुर (म.प्र.) ....निगरानीकर्तागण

बनाम

मध्यप्रदेश शासन .... अनावेदक

यह निगरानी न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील व जिला-छतरपुर (म.प्र.) द्वारा प्र.क्र.-1/सी.-129 /2012-13 में पारित आदेश दिनांक-22.08.2013 से धारा 50 म.प्र. भू रा.सं. के अंतर्गत **असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की गई है।**

मान्यवर,

निगरानीकर्तागण सादर निम्नलिखित निगरनी प्रस्तुत करते हैं :-

1. यह कि प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि निगरानीकर्तागण एक ही ग्राम के व्यक्ति हैं तथा-ककरदा स्थित भूमि खसरा नंबर-798, 799/2, 800/2, किता-03, रकवा 1.823 हे., निगरानीकर्ता निगरानीकर्ता क्रमांक-01 तथा खसरा नंबर-780/1, 785/2, किता-02, रकवा-2.060 निगरानीकर्ता क्रमांक-02 तथा खसरा नंबर- 786/1/2, रकवा-1.995 हे. निगरानीकर्ता क्रमांक-03 तथा खसरा नंबर-780/2, 796, किता-02, रकवा-1.964 हे. निगरानीकर्ता क्रमांक-04 के भूमि स्वामी स्वत्व एवं आधिपत्य पर राजस्व अभिलेख में दर्ज थी।

2. यह कि निगरानीकर्तागण प्रश्नाधीन भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड हेतु पटवारी प्रमाण-पत्र व खसरा की नकल की आवश्यकता होने से दिनांक-01.07.2012 को पट वारी हल्का के पास गये, तब पटवारी हल्का द्वारा बताया गया कि तहसीलदार-छतरपुर द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक-421/बी-121 /2010-11 में पारित आदेश दिनांक-08.06.2011 के अनुसार उक्त भूमियों में निगरानीकर्तागण का नाम निरस्त करने का आदेश दिया गया, तदानुसार उक्त भूमियां राजस्व अभिलेख में म.प्र. शासन दर्ज की गई हैं। तहसीलदार-छतरपुर द्वारा उक्त प्रकरण में कोई आदेश पारित नही किया गया है, किन्तु हल्का पटवारी द्वारा उक्त प्रकरण क्रमांक-——— एवं आदेश दिनांक-08.06.2011 का हवाला देकर उक्त भूमियां म.प्र. शासन दर्ज कर दी गई। उक्त प्रविष्टि सक्षम अधिकारी की आज्ञा के बिना होने से उक्त म.प्र. शासन के नाम दर्ज होने की प्रविष्टि लेखन त्रुटि होने से निगरानीकर्तागण द्वारा संहिता की धारा-113 के अंतर्गत न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, तहसील-छतरपुर (जिन्हें आगे अधीनस्थ न्यायालय कहा जायेगा) के समक्ष अभिलेख में पूर्वानुसार दर्ज किये जाने हेतु प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक-22.

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति ओदश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2088-एक/2016 जिला छतरपुर

हरचरन विरूद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के नाम
07-03-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी तहसील व जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 1/सी-129/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 22-08-2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा **54**(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर छरतपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 06-05-2019 को कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के.जैन) 07/3/19 सदस्य	